



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112025-267383
CG-DL-E-04112025-267383

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 730]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 2025/कार्तिक 13, 1947

No. 730]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4, 2025/KARTIKA 13, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2025

सं. 73/2025-सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 816(अ).— सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 54 की उप-धारा (1) और धारा 143 क क के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, ट्रांशिपमेंट ऑफ कार्गो टू नेपाल अंडर एलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रेकिंग सिस्टम रेग्युलेशनस, 2019 में, और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :-

1. इन विनियमों को ट्रांशिपमेंट ऑफ कार्गो टू नेपाल अंडर एलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रेकिंग सिस्टम (अमेंडमेंट) रेग्युलेशनस, 2025 कहा जाएगा |

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. ट्रांशिपमेंट ऑफ कार्गो टू नेपाल अंडर एलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम रेग्युलेशनस, 2019 में, विनियमन 3 के लिए, निम्नलिखित विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“3. प्रयोज्यता. - ये विनियम भारत के कोलकाता, हल्दिया और विशाखापट्टनम पत्तनों से भेजे जाने वाले कार्गो पर लागू होगा-

(क) नेपाल के वीरगंज तक रेल द्वारा;

(ख) भारत में बतनाहा तक रेल के द्वारा और बतनाहा से नेपाल में विराट नगर तक सड़क मार्ग से;

(ग) नेपाल के विराट नगर तक रेल द्वारा; और

(घ) भारत में भारतीय कस्टम यार्ड, जोगबनी तक रेल द्वारा और भारतीय कस्टम्स यार्ड, जोगबनी से नेपाल में विराट नगर तक सड़क मार्ग से।”

[फा. सं. 554/2/2014-एस.ओ (एलसी)]

मेघा बंसल, अवर सचिव

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना सं. 68/2019-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 30 सितंबर, 2019 को संख्या सा. का. नि. 704 (अ), दिनांक 30 सितंबर, 2019, के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इस में अंतिम बार अधिसूचना संख्या 51/2023-सीमाशुल्क (गै.टे.) जिसे सा. का. नि. 498 (अ) दिनांक 11 जुलाई, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2025

No.73/2025-Customs (N.T.)

G.S.R. 816(E).— In exercise of the powers conferred by section 157 read with sub-section (1) of section 54 and section 143AA of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Transhipment of Cargo to Nepal under Electronic Cargo Tracking System Regulations, 2019, namely:-

1. These regulations may be called the Transhipment of Cargo to Nepal under Electronic Cargo Tracking System (Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the day of their publication in the Official Gazette.

2. In the Transhipment of Cargo to Nepal under Electronic Cargo Tracking System Regulations, 2019, for regulation 3, the following regulation shall be substituted, namely: –

"3. **Application.** - These regulations shall apply to the transhipment of cargo from the ports of Kolkata, Haldia and Vishakhapatnam in India to –

- (a) Birgunj in Nepal by rail;
- (b) Batnaha in India by rail and from Batnaha to Biratnagar in Nepal by road;
- (c) Biratnagar in Nepal by rail; and
- (d) Indian Customs Yard, Jogbani in India by rail and from Indian Customs Yard, Jogbani to Biratnagar in Nepal by road."

[F. No. 554/2/2014-SO(LC)]

MEGHA BANSAL, Under Secy.

Note: The principal notification No. 68/2019-Customs (N.T), dated the 30th September, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R 704(E), dated the 30th September, 2019 and was last amended *vide* notification No. 51/2023-Customs (N.T.), dated the 11 July, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 498 (E), dated the 11th July, 2023.